3

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

मु.नं. 67/14 तारीख रजू 20.1.14

पीठासीन अधिकारी – श्री जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. भरोसी पुत्र सम्पत
2. प्यारे लाल पुत्र मोतीलाल
3. सीमन पुत्र बत्तू

समस्त जाति बैरवा निवासीयान – कमालपुरा तहसील टोडाभीम

(सायल)

बनाम

1. रामस्वरूप उर्फ रामकिशोर S/o श्योजी
2. प्रभूदयाल S/o श्योजी
3. हरबाई W/o प्रभूदयाल

समस्त जाति बैरवा निवासीयान – कमालपुरा तहसील – टोडाभीम

4. गुड्डी पुत्री रामस्वरूप उर्फ रामकिशोर W/o पप्पू जाति बैरवा निवासी कमालपुरा हाल निवासी गढ़ी तहसील सिकराय
5. केश्यो पुत्री श्योजी W/o रमेश जाति बैरवा निवासी कमालपुरा हाल निवासी टोडीयाडा टोडाभीम
6. शेडो पुत्री श्योजी W/o परमादयाल जाति बैरवा निवासी कमालपुरा हाल निवासी टोडीयाडा टोडाभीम
7. स्टेट आफ राज० जरिये तहसीलदार टोडाभीम

(गैरसायल)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट – सायल
श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट – गैर सायल

निर्णय दिनांक 30.9.15

संक्षिप्त में मामला यह है कि ग्राम कमालपुरा की भूमि खसरा नम्बर 623 रकबा 1.05 है०, 1051 रकबा 0.67 है०, 1848 रकबा 1.27 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.99 है० का खातेदार काश्तकार श्योजी S/o गंगाविशन जाति चमार निवासी कमालपुरा रहा है। प्रतिवादीगण के बुर्जुग श्योजी ने ख.नं. 623 रकबा 1.05 है० में से 1/2 बीघा पक्की भूमि जो कि सीमन सायल नं. 3 की भूमि से पूरब दिशा में स्थित है को रूपये एक लाख में सायलान को विक्रय

(लगातार)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

का कब्जा करा दिया जिसकी लिखापढ़ी सायलान की बही मे कर दी। विक्रय नामा की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार श्योजी ने ख.नं. 623 रकबा 1.05 है० में से 1/2 बीघा पक्की भूमि जोकि हरभजन की भूमि से पूर्व दिशा मे है को एक लाख रुपये में सायल नं. 3 श्रीमन बैरवा को विक्रय कर कब्जा करा दिया जिसकी लिखापढ़ी सायल नं. 3 की बही मे कर दी। विक्रय नामा की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार ख.नं. 623 रकबा 1.05 मे से 2 बीघा भूमि व दिशा पश्चिम पहले से ही श्योजी ने अपने भाई मूलचंद के लड़के हरभजन व प्यारे लाल को विक्रय कर कब्जा करा दिया सायलान उक्त आराजीयात पर क्रय दिवस सम्वत 2058 से काबिज एवं दखील है। विक्रेता श्योजी बैरवा के फौत हो जाने के पश्चात मुतजिका मद नं. 1 की खातेदारी विरासत के आधार पर गैरसायल नं. 1, 2, 4 व 6 के नाम दर्ज हो चुकी है जिसमे गैरसायलान नं. 4 का नाम गलत दर्ज कराया गया है क्योंकि गैरसायला नं. 4 गुड्डी खातेदार श्योजी की पुत्री नहीं है बल्कि वह तो श्योजी की पोती व रामस्वरूप की पुत्री है। इसका नाम हजफ होकर गैरसायला नं. 5 केश्यो का नाम दर्ज होना चाहिए। खातेदार श्योजी के फौत हो जाने के बाद गैरसायलान के मन मे बदनियति आ गई है तथा वे इस भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान करना चाहते हैं। गैरसायलान ने दिनांक 17.6.14 को ख.नं. 623 मे से 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री तो हरभजन की पत्नि सम्पोदेवी व प्यारे लाल की पत्नि कौशल्या के नाम करा दी किन्तु श्योजी द्वारा विक्रीत भूमि की रजिस्ट्री सायलान के नाम नहीं कराई। खरीद के हिस्से ख.नं. 623 के हिस्से 1/2 भूमि पर सायलान काबिज एवं दाखील है तथा काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि आराजी ख.नं. 623 रकबा 1.05 है० हिस्सा 1/2 मे सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु गैरसायलान को पाबंद फरमाया जावे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुए जिस कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

(लगातार)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने कथन किया कि श्योजी ने अपनी खातेदारी की भूमि ख. नं. 623 रकबा 1.05 हे. में से 2 बीघा भूमि का विक्रय सायलान की बही में लिखापढ़ी कराकर कर दिया था तब से ही सायलान काश्त कर रहे हैं अब श्योजी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान अप्रार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है। रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायलान को रोक एवं मौके की यथा स्थिति कायम रखने के लिए पाबंद किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में ही वर्णित किया गया है कि खातेदार श्योजी से बही में लिखापढ़ी कराकर एक-एक लाख रुपये में भूमि क्रय की गई है तथा बही की छाया प्रति संलग्न की है रुपये 100/= रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ही किया जा सकता है इकरारनामा अथवा बही में लिखावट के आधार पर किया गया सम्पत्ति का विक्रयनामा मंजूरी के काबिल नहीं है तथा इस प्रकार की लिखावट के आधार पर राजस्व कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner